35

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001

Dated 28th October, 2021

ORDER

In exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned hereby directs that the Order of the Ministry of Home Affairs of even number, dated 28th September, 2021, to ensure compliance with the Prompt & Effective Containment Measures for COVID-19, as conveyed vide Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) DO No. Z.28015/85/2021-DM Cell, dated 21st September, 2021, will remain in force upto the 30th November, 2021.

28/10/2021

Union Home Secretary

and, Chairman, National Executive Committee (NEC)

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

   (As per list attached)

Copy to:

i. All Members of the National Executive Committee

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority

APPENDIX-2 34

संख्या-592/xxxi(15)G/21-04(सा0)/2020

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक 26 जुलाई, 2021

विषय:- प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा समय-समय पर प्रदेश के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध निर्गत शासनादेश संख्या-316/xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं 329/ xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के द्वारा समूह "क" एवं "ख" के अधिकारीगणों की शत-प्रतिशत तथा समूह "ग" एवं "घ" की उपस्थिति 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के समस्त समूह के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराई जायेगी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था तथा आवश्यक सावधानी बरते जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

क्रमशः 2/

संख्या– / xxxi(15)G/21–04(सा0) / 2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।